न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध-9099-II-16

विविध प्रकरण क्रमांक ..../2016

श्री दिवाकर दीक्षित
द्वारा आज दि. 22/6/16 को
प्रस्तुत
22-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बलराम उर्फ बालाराम .... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य .... प्रत्यर्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि, आवेदक द्वारा एक अपील माननीय कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी।

2. यह कि, वह अपील R – 3271/i /2015 माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज होकर दिनांक 09.10.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया और माननीय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिरस्त किया गया।

3. यह कि, उक्त आदेश पारित करते समय त्रुटिवश पैरा कमांक 2 व सभी जगह तहसील अशोक नगर की जगह तहसील ईशागढ टाइप हो गया, जिस कारण आवेदक अपनी उक्त भूमि विकय करने में असमर्थ है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9099–दो/16 **जिला** –अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
4-7-16	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–152 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कलेक्टर जिला अशोक नगर के प्रकरण कमांक 19/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 4.9.15 के विरूद्व राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक निगरानी 3271–एक/15 में पारित आदेश दिनांक 9.10.15 से स्वीकार हुआ था। उनके द्वारा निवेदन किया है कि आदेश के पैरा 2 व सभी जगह तहसील अशोक नगर की जगह तहसील ईशागढ़ टाइप हो गया है। अतः ईशागढ की जगह अशोक नगर करने का निवेदन किया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है, तथा तहसील ईशागढ की जगह तहसील अशोक नगर पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	